रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221493
CG-DL-E-01092020-221493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
No. 2649] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

सं. 30 /2015–2020

विषयः– दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यात पर निर्यातकों को उपलब्ध एमईआईएस लाभ की अधिकतम सीमा/उच्चतम सीमा।

का.आ. 2980(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और एफटीपी के समर्थकारी पैरा 3.13 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः

2. दो नए पैराग्राफ 3.04क और 3.04ख विदेश व्यापार नीति में निम्नानुसार, शामिल किए जाते हैंः

''3.04क

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत किसी आईईसी धारक को प्रदान किया जा सकने वाला कुल प्रतिफल 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि (अवधि जो शिपिंग बिल (बिलों) की मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख पर आधारित है) में किए गए निर्यात पर प्रति आईईसी 2 करोड़

रूपए से अधिक नहीं होगी। कोई भी आईईसी धारक जिसने 01.09.2019 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान मान्य निर्यात आदेश की तिथि को कोई निर्यात नहीं किया है अथवा जिसने दिनांक 01.09.2020 को या इसके बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है, दिनांक 01.09.2020 से किए गए निर्यात के लिए एमइआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का कोई दावा प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकतम सीमा आगे पुनः संशोधित कर कम किए जाने के अधीन हो सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अवधि (01.09.2020 से 31.12.2020) हेतु स्कीम के अंतर्गत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन राशि, जो 5000 करोड़ रुपये है, से अधिक न हो।

3.04ख

एमईआईएस के तहत लाभ 01.01.2021 से किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं होगा।''

इस अधिसूचना का प्रभाव: एमईआईएस के तहत कुल प्रतिफल पर एक सीमा रोपित की गई है ताकि 01.09.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में किए गए निर्यात के लिए किसी आईईसी धारक द्वारा दावा किया जा सकने वाली कुल प्रतिफल 2 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो। इसके अलावा यह भी अधिसूचित किया गया है कि किसी आईईसी धारक जिसने 01.09.2020 से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के लिए कोई निर्यात नहीं किया है अथवा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है एमईआईएस के तहत कोई दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही, यह अधिसूचित किया गया है कि एमईआईएस स्कीम को 01.01.2021 से वापस ले लिया गया है। उपर्युक्त अधिकतम सीमा आगे पुनः संशोधित कर कम किए जाने के अधीन हो सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अवधि (01.09.2020 से 31.12.2020) हेतु एमईआईएस के अंतर्गत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन राशि जो 5000 करोड़ रुपये है, से अधिक न हो।

[फा. सं. 01/61/180/288/एएम–20/पीसी–3 (भाग–I) से जारी)]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2020

No: 30 /2015-2020

Subject: Ceiling/ cap on MEIS benefits available to exporters on exports made from 01.09.2020 to 31.12.2020

S.O. 2980(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 and the enabling para 3.13 of the FTP, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-20 with immediate effect:

2. Two new paragraphs, 3.04A and 3.04B are inserted in the Foreign Trade Policy as below:

"3.04 A

The total reward which may be granted to an IEC holder under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) shall not exceed Rs. 2 Crore per IEC on exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020 [period based on Let Export Order (LEO) date of shipping bill(s)]. Any IEC holder who has not made any export with LEO date during the period 01.09.2019 to 31.08.2020 or any new IEC obtained on or after 01.09.2020 would not be eligible for submitting any claim for benefits under MEIS for exports made with effect from 01.09.2020. The aforesaid ceiling may be subject to further downward revision to ensure

that the total claim under the Scheme for the period (01.09.2020 to 31.12.2020) does not exceed the allocation prescribed by the Government, which is Rs 5,000 Cr.

3.04 B

Benefits under MEIS shall not be available for exports made with effect from 01.01.2021."

Effect of this Notification: A limit on total reward under MEIS has been imposed so that for exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020 the total reward which can be claimed by an IEC holder does not exceed the ceiling of Rs. 2 Cr. Further, it has also been notified that any IEC holder who has not made any exports for a period of one year preceding 01.09.2020 or any new IECs obtained on or after the date of publication of this Notification would not be eligible for submitting any claim under MEIS. In addition, it has been notified that MEIS Scheme is withdrawn with effect from 01.01.2021. The aforesaid ceiling will be subject to further downward revision to ensure that the total claim under MEIS for the period (01.09.2020 to 31.12.2020) does not exceed the prescribed allocation by the Government, which is Rs. 5,000 Cr.

[F.No. 01/61/180/288/AM20/PC-3 (Part-1)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA